

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 53 / 2020

यूको बैंक शाखा कुम्हेर गेट, भरतपुर जरिहे प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / शिक्कोर क्रेडिटर

सनाम

1- श्री घनश्याम सिंह पुत्र चाबूलाल, प्लॉट नं. 94 खरारा नं. 560 गली नं.2 शिवनगर कॉलोनी
भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

2- श्रीमती प्रेमवती पत्नि श्री घनश्याम सिंह प्लॉट नं. 94 शिवनगर कॉलोनी भरतपुर

.....गारन्टर अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन
ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट
2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पत्ति का
कब्जा सुपुर्दगी बाबत।



आदेश

दिनांक 19.7.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने दिनांक 21-10-2014 को 790000/- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति रहवासीय मकान नं. 94 शिवनगर कॉलोनी भरतपुर राज० कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट जो कि श्रीमती प्रेमवती पत्नि घनश्याम सिंह के नाम जिसके उत्तर में 25 फीट चौड़ा रोड़ है, दक्षिण में- प्रोपर्टी राजेन्द्र सिंह, पूर्व में- मकान नं. 95, पश्चिम में मकान नं. 93 स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31-05-2019 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31-05-2019 तक 454013/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 10-10-2019 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

(2)


प्रा.पत्र / 53 / 2020
यूको बैंक शाखा कुम्हेर गेट बनाम घनश्यामसिंह वगै.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के एंवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 10.10.2019 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया जो अप्रार्थी ऋणी पर व्यक्तिगत तामील कराया गया उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा राशि एवं देय व्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एंवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति रहवासीय मकान नं. 94 शिवनगर कॉलोनी भरतपुर राज0 कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट जो कि श्रीमती प्रेमवती पत्नि घनश्याम सिंह के नाम जिसके उत्तर में 25फीट चौड़ा रोड़ है, दक्षिण में-प्रोपर्टी राजेन्द्र सिंह, पूर्व में मकान नं. 95 पश्चिम में मकान नं. 93 स्थिति है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।




(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर